मुद्रक - आरती प्रिन्टिंग प्रेस

फर्द अहकाम

(नियम (26))

अज अदालत ....उपखण्डाधिकारी कमलेश.... सिकराय (दीक्षा)

~~सरकार~~ बनाम ....महिपाल....

किस्म मुकदमा ....128 LR Act पत्थरगढ़ी.... मु० नं० ....10/21....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.7.21	पत्रावली बहस हेतु पेश। उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। प्रतिवादी अधिवक्ता सुनील गुप्ता का तर्क रहा कि प्रश्नगत भूमि ग्राम सिकंदरा के ~~खाता~~ खाता सं. 295 के ख.नं. 3351/1010 की .76 है। भूमि गै.मु. औद्योगिक होने के कारण LR Act व उपखण्डाधिकारी की अधिकारिता से बाहर है। इस कारण विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश नहीं दिये जा सकते हैं। वादी अधिवक्ता निर्मल शर्मा का तर्क रहा कि कृषि अथवा गैर कृषि भूमि की पैमाइश पटवारी द्वारा ही की जाती है व दि. 16.10.2020 को सीमाज्ञान पटवारी हलका द्वारा ही करवाया गया है। उभय पक्ष की बहस के तथ्यों पर गौर किया गया। वादीगण अपनी ग्राम सिकंदरा की खाता सं. 295 की भूमि की पत्थरगढ़ी, सीमाज्ञान दि. 16.10.2020 के अनुसरण में, कायम किये चिन्हों पर स्वयं के स्तर पर करने वाक्त स्वतंत्र है। वादीगण आवश्यक होने पर ग्रामविकास अधिकारी व पटवारी हलका का सहयोग ले सकते हैं। 27.7.21	